HRA AN AISIUM The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर १, २०१०/भाद्र 18, 1932

No. 505]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2010/BHADRA 18, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 740(अ).—भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग ों, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), दिनांक 3 दिसम्बर, 2009 में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 857(अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2009 के तहत विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के खण्ड 18 के उप-खण्ड (i) की आवश्यतानुसार गैस सिलैण्डर नियम, 2004 को संशोधित करने के लिए कुछ नियमों का एक प्रारूप प्रकाशित किया गया था जिसमें इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव, राजपत्र की प्रतियां, जिनमें उक्त अधिसूचना शामिल थी, जनता के लिए उपलब्ध होने की तारीख से 45 दिनों की अविध समाप्त होने से पूर्व, आमंत्रित किए गए थे।

और चुंकि उक्त राजपत्र की प्रतियां दिनांक 3 दिसम्बर, 2009 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थी।

और चूंकि केन्द्र सरकार को कोई भी अपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अत: विस्फोटक अधिनियम, 1984 (1884 का 4) की धारा 5 व 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब केन्द्र सरकार ने एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए हैं :—

- 1. (1) इन नियमों को गैस सिलैण्डर (संशोधन) नियम, 2010 कहा जाए।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
- 2. गैस सिलैण्डर नियम, 2004 के खण्ड (viii) के नियम 2 में 'मीथेन' शब्द के पश्चात् 'अथवा हाइड्रोजन और मीथेन का उपयुक्त मिश्रण' शब्द शामिल होंगे।

[फा. सं. 3(1)/2002-विस्फोटक]

चैतन्य प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: -अधिसूचना सं. सा.का.नि. 627(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 2004 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य नियम प्रकाशित किए गए थे।

3539 GI/2010

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2010

G.S.R. 740(E).—Whereas a draft of certain rules to amend the Gas Cylinders Rules, 2004 was published, as required by sub-section (1) of Section 18 of Explosive Act, 1884 (4 of 1884) vide notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) No. G.S.R. 857(E) dated 3rd December, 2009 in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 3rd December, 2009, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 3rd day of December, 2009,

And, whereas, no objections and suggestion's have been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Gas Cylinders (Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Gas Cylinders Rules, 2004, in rule 2 in clause (viii) after the word "Methane", the words "or suitable mixtures of Hydrogen and Methane" shall be inserted.

[F. No. 3 (1)/2002-Expl.]

CHAITANYA PRASAD, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* Notification number G.S.R. 627 (E), dated the 21st September, 2004.